

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०ए०ए०)

वाद सं० : 453 सन 2022

अगवान :-

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिधत :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 21/07/2022

राक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 76/76 की कुल 13.1560 हैक् में से 1/15 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र रामदास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीरी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।


अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रामू पुत्र सुरजा के स्थान पर रामलाल पुत्र सुरजाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 76/76 की कुल 13.1560 हैक् में से 1/15 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र रामदास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज किया गया है जो गलत है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीरी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की वादी के नाम रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 76/76 की कुल 13.1560हेक् में से 1/15 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय रामलाल पुत्र सुरजाराम के स्थान पर रामू पुत्र सुरजा दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम होना प्रतित होता है प्रस्तुत दस्तावेजात /शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र /पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/सरपंच थाग पंचायत की तस्दीक/ पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी के नाम रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 76/76 की कुल 13.1560हेक् में से 1/15 हिस्सा भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा अंकित है के स्थान पर रामू उर्फ रामलाल पुत्र सुरजाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीब तकमील जावा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवारी जराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 453 सन 2022 निर्णय दिनांक-21/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 76/76 की कुल 13.1560 हैक् में से 1/15 हिस्सा भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा अंकित है के स्थान पर रामू उर्फ रामलाल पुत्र सुरजाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)